न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18 / 32

श्रीमती धापू बाई आयु 65 साल पत्नी स्व0 धन्ना लाल जाति प्रजापत निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रामभरोसी पुत्री कल्याण जाति प्रजापति निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. महादेव
3. छीतर लाल
4. श्री किशन
5. छोटू लाल पिसरान श्री बिशना जाति प्रजापत निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 भरतराज जाति प्रजापत
7. जगदीश आयु 12 वर्ष पुत्र भरतराज ।
8. लक्ष्मी आयु 08 वर्ष पुत्री भरतराज ।
9. सीमा आयु 06 वर्ष पुत्री भरतराज ।
10. धर्मेन्द्र आयु 04 वर्ष पुत्र भरतराज अवयस्क जरिये वली माता श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 भरतराज जाति प्रजापत निवासीगण अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. रामप्रसाद आयु 49 वर्ष आत्मज धन्ना लाल जाति प्रजापत निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
12. मोती लाल आयु 40 वर्ष आत्मज धन्ना लाल जाति प्रजापत निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री राजकुमार माथुर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 29.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 02.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 451 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1815 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि स्थित है । राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा तथा बिसना का 1/3 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से को पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाए ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/3 हिस्सा है उसका विधिवत बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से वादिनी के नाम दर्ज किया जावे व सीमाज्ञान नाप करके अपनी 0.06 हैक्टर जो 1/3 हिस्से के बराबर है पर कब्जा स्थापित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.02.2017 के द्वारा वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट धापू ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पुत्र श्री भरतराज का निधन वाद की सुनवाई के दौरान दिनांक 20.02.2011 को हो गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसके कायममुकामान को वाद में पक्षकार बनाये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम कीं धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.12.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण दावा डिक्री किया है अपीलान्ट के पुत्र भरतराज का निधन 20.02.2011 को हो गया था उनके कायममुकामान को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट वादीगण ने अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाकर भूल की है । मौके पर पक्षकारान के मध्य बंटवारा हो रहा है और पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने 08.02.2017 के निर्णय की अपील 09.02.2018 को पेश की है जो अवधि बाधित है । बंटवारे का दावा है जिसमें कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लेने के आधार पर दावा अबैट नहीं किया जा सकता । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 08.02.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 04 तनकीयात कायम की थी ज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 33 पर हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपन निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपू होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.02.2017 निरस्त किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि स निर्णय पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के भीतर पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जा कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा